

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर (राज0)

-:कार्यालय आदेश:-

क्रमांक :- ५२

दिनांक :- २८.५.२०२०

माननीय शेट्टी आयोग की सिफारिशों की अनुपालना में राजस्थान सरकार, वित्त विभाग अधिसूचना क्रमांक :F12(5)FD/Rules/2005 दिनांक 02.09.16 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 21.10.16 एवं राजस्थान सरकार, कार्मिक विभाग, जयपुर के नोटिफिकेशन क्रमांक : एफ.३ (३३) डीओपी/ए-II/८५ दिनांक 19.07.17 के अनुसरण में इस न्यायक्षेत्र में वरिष्ठ मुंसरिम के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु गठित पदोन्नति समिति की अनुशंसा रिपोर्ट पत्र क्रमांक 111 दिनांक 01.04.2020 को अनुमोदित करते हुए निम्न कर्मचारीगण को वरिष्ठ मुंसरिम के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में नियमानुसार अनुमत वेतन पे-मैट्रिक्स में लेवल-L-14 में एतद्द्वारा निम्न शर्तों पर पदोन्नत किया जाता है :-

क्र. सं.	पदोन्नति पद का नाम	कर्मचारीगण का नाम मय पद	विशेष विवरण
1.	2.	3.	4.
1.	वरिष्ठ मुंसरिम	1. श्री बाबूलाल लीलावत, रीडर-1 अपर जिला न्यायालय, पोकरण।	लिपिकवर्गीय संवर्ग से
2.		2. सुशील कुमार गोपा, रीडर-1 अपर जिला न्यायालय, जैसलमेर।	लिपिकवर्गीय संवर्ग से


नोट :-

1. राजस्थान अधीनस्थ न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन (संशोधन) नियम, 2017 के नियम 14 (v) में वर्णित वरिष्ठ मुंसरिम के पद की विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होकर उत्तीर्ण करना होगा अन्यथा कर्मचारी को पुनः संस्थाई पद पर पदावनत कर दिया जायेगा।
2. पदोन्नत कर्मचारी को पदोन्नति के वेतनमान का लाभ नये पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।
3. इनका पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किया जायेगा।

—sd—
जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।

क्रमांक : स्था./2020/ 860-867 दिनांक : 28.५.२०२०
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित/प्रदत्त है:-

1. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जैसलमेर/पोकरण।
2. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-II, न्यायालय हाजा (दो प्रति)
3. श्री बाबूलाल लीलावत/श्री सुशील कुमार गोपा, रीडर-1
4. निजी पत्रावली श्री बाबूलाल लीलावत/श्री सुशील कुमार गोपा, रीडर-1
5. सिस्टम ओफिसर, कार्यालय हाजा।
6. कार्यालय प्रति।


जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
जैसलमेर।